उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-07/2020/2916/92-2-2020-53(जॉच)/2015,

लखनऊ :: दिनांक:: 10 जनवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड महोबा में अधिशासी अभियन्ता द्वारा शासन के आदेशों के अनुरूप निर्माण कार्य सम्पादन हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने, उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का परिपालन सुनिश्चित न करने, सौंपे गये पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने, जनपद महोबा मे डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित मार्गों के निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया को उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशिका टी-1 में प्राविधानित व्यवस्था से इतर निविदा प्रक्रिया में अनियमितता व वित्तीय हस्त पुस्तिका मे विहित प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-04/2019/30/92-2-2019-53(जांच)/2015, दिनांक 07.01.2019 द्वारा श्री डी0डी0 पाठक, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-महोबा सम्प्रति प्रखण्ड कानपुर नगर को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-महोबा को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- इसी मध्य अपचारी अधिकारी श्री डी0डी0 पाठक, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-महोबा जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.01.2019 को सेवानिवृत्त हो गये, के दृष्टिगत उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.01.2019 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-54/2019/321/92-2-2019-53(जॉच)/2015, दिनांक 06.03.2019 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित किया गया।

3- श्री डी0डी0 पाठक, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड महोबा सम्प्रति सेवानिवृत्त के पत्र दिनांक 02.07.2019 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित किये जाने विषयक पत्र में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-99अ0मु0स0/92-2-2019-53(जांच)/2015, दिनांक 17.07.2019 द्वारा जांच अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल लखनऊ के स्थान पर जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुए अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल अयोध्या को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 30.11.2019 को जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

4- अपचारी अधिकारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कुल-5 आरोपो में से जांच अधिकारी ने अपचारी अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर के सापेक्ष आरोप संख्या-3 व आरोप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-5 अभिलेखानुसार आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया तथा आरोप संख्या-1, आरोप-2 एवं आरोप संख्या-4 को अभिलेखानुसार प्रमाणित होना नहीं पाया। आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-3 व आरोप संख्या-5 के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 11.12.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री डी0डी0 पाठक का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 16-12-2019 द्वारा शासन मे उपलब्ध कराया गया।

5- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर के सापेक्ष जांच अधिकारी की जांच आख्या तथा जांच अधिकारी की जांच आख्या में आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-3 व आरोप संख्या-5 के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं अन्य अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-3 व आरोप संख्या-5 में अपचारी अधिकारी श्री डी0डी0 पाठक को कार्य की तकनीकी/वित्तीय गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ने हेतु उत्तरदायी नही पाया गया वरन् श्री पाठक को मात्र प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए उत्तरदायी पाया गया। श्री पाठक द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/शासकीय क्षति कारित नहीं की गयी है। अपचारी अधिकारी श्री डी0डी0 पाठक जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.01.2019 को सेवानिवृत्त हो गयें हैं, के विरूद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप संख्या-3 व आरोप संख्या-5 के संबंध में उन्हें उक्त अनियमितता/प्रक्रियात्मक त्रुटि हेतु प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अब कोई अवसर नहीं रह गया है। अत: शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-04/2019/30/92-2-2019-53(जांच)/2015, दिनांक 07.01.2019 द्वारा श्री डी0डी0 पाठक, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-महोबा के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-54/2019/321/92-2-2019-53(जॉच)/2015, दिनांक 06.03.2019 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित किया गया, को दण्ड रहित समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-07/2020/2916(1)/92-2-2020 तददिनांक।</u>

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल अयोध्या ।
3- श्री डी0डी0 पाठक, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-महोबा सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://sh sanadesh.up.ni .in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।